FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

सुरेश **बनाम** सरकार

किस्म मुकदमा— राजस्व अपील मुकदमा नम्बर——36—सन्— 2019

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2020	अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस हेतु पुनः अवसर चाहा गया। अधिवक्ता अपीलांट को पूर्व मे बहस हेतु एवं शपथ पत्र पेश करने हेतु बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न तो शपथ पत्र पेश किया गया और न ही बहस की गई। ऐसी स्थिति मे प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का गोठडा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा मे इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई की सुरेश पुत्र रामेश्वर मीना निवासी ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा ने खसरा नं0 4 रकबा 0.10 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि वाके ग्राम रूडमल का बास पर अनाधिकृत रूप से बाजरा बोकर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस की तामील होने के बावजूद अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ। पत्रावली मे संलग्न पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 01.09.2018 मे कैफियत पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना तथा पटवारी हक्का के बयान एवं संलग्न प्रपत्र पी—14 मे अंकितानुसार अपीलांट द्वारा संवत 2074 मे भी चारागाह भूमि पर बाजरा की काश्त किया जाना दर्शित है। जिससे अपीलांट सुरेश पुत्र रामेश्वर मीना पश्चावर्ती अतिक्रमी होना प्रतीत होता है। पत्रावली मे संलग्न फर्द मौका/बेदखली एवं फसल जब्ती दिनांक 28.12.2018 के अनुसार उक्त अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी सुरेश पुत्र रामेश्वर मीना को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर अवैध रूप से काश्त खडी फसल बाजरा को हक सरकार मे कब्जेराज लिया गया एवं जब्तशुदा फसल को नीलाम किया जाना अंकित किया गया है। अपीलांट द्वारा अतिक्रमण नही करने बाबत कोई साक्ष्य/सबूत पेश किये जाने से संबंधित कोई दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न नहीं है और न ही बार बार अवसर दिये जाने उपरांत भी इस न्यायालय मे कोई सबूत/शपथ पत्र पेश किया गया है। जिससे अपीलांट का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि अपीलांट को सुनवाई/साक्ष्य/सबूत/शपथ पत्र पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को बार बार अवसर दिये जाने के उपरांत कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नही करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने तथा फर्द मौका/बेदखली एवं फसल जब्ती रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। मुकदमा नं0 148/2018 उनवानी सरकार बनाम सुरेश मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.12.2018 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड वापिस भिजवाया जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (अविचल चतुर्वेदी) जिला कलक्टर, दौसा जिला कलेक्टर, दौसा	तह0 दौसा को पत्रांक 684 दिनांक 26-02-20 द्वारा मूल पत्रावली व निर्णय की प्रति0 प्रति प्रेषित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official